310 (15) लोक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा चयन के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों को हवाई जहाज/रेल से वापसी के किराए की अदायगी

मुझे उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के तारीख 8 मार्च, 1993 के का.ज्ञा. सं. 16/22/92–जी एम II जिसे इस विभाग के का.ज्ञा.सं. 20(5)/95 डी पी ई (जी एम) दि. 10 दिसंबर, 1997 द्वारा रद्द किया गया था का हवाला देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के रद्द होने से लोक उद्यम में विभिन्न उच्च पदों के लिए लोक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों के यात्रा खर्च की प्रतिपूर्ति के नियमन में कठिनाइयां आ रही हैं। इस स्थिति की समीक्षा की गई और ध्यानपूर्वक विचार के बाद यह निर्णय लिया गया कि इस विभाग के तारीख 8 मार्च, 1983 के का.ज्ञा. को निम्नलिखित संशोधनों के साथ फिर से लागू कर दिया जाए।

(क) सरकारी/लोक उद्यमों के अभ्यर्थियों को ड्यूटी/दौरे पर समझा जाए तथा वे अपने–अपने संगठनों से यात्रा भत्ते का दावा कर सकते हैं। इसकी प्रतिपूर्ति अभ्यर्थियों के संगठन द्वारा दावा करने पर उस लोक उद्यम द्वारा की जाएगी जिसके लिए भर्ती की गई है।

(ख) निजी क्षेत्र के अभ्यर्थियों को उनके वास्तविक हवाई जहाज/रेल किराए की प्रतिपूर्ति की जा सकती है और खान–पान, ठहरने व परिवहन खर्च की अदायगी उस सीमा तक की जाएगी जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में साक्षात्कार किए जाने वाले पद से एक स्तर निचले पद के कार्यपालक को ग्राह्य हैं। अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय लोक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र को प्रस्तुत कर इस खर्च की अपने–अपने सा.क्षे. के उद्यमों से मांग कर सकते हैं।

2. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों से अनुरोध है कि वे कृपया अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को आवश्यक अनुदेश जारी करें।

(डी पी ई का तारीख 11 मार्च, 1999 का का.ज्ञा. सं. 18/19/98–जी एल–016/डी पी ई (जी एम)